न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./189/2024/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. धर्माराम पुत्र कालूराम, जाति माली उम्र 72 वर्ष, निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 2. ओम प्रकाश पुत्र रतनलाल, जाति माली उम्र 42 वर्ष, निवासी निचली बास बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।	1. भेराराम पुत्र हरिराम, जाति माली, निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 2. राजस्थान संरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा, जिला बालोतरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 183/2023 बउनवान भेराराम बनाम धर्माराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री छैलसिंह अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री सुनील के मेराजा उतरदाता संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—09.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बालोतरा नगरपालिका क्षेत्र, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 1728/476 रकबा 2.8075 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसके सेढा—सेढ प्रतिवादी संख्या 1 व 2/अपीलांट की वादग्रस्त भूमि अवस्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रभावशाली व्यक्ति है जो येन केन तरीके से वादी के कब्जा—काश्त की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। जिस हेतु वादी/रेस्पों. द्वारा नेखमबंदी करवाने का आवेदन पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर आदेश की पालना किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का वादी की भूमि में अवैध अतिक्रमण होना पाया, उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। जिस पर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट को बिना साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों पर गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया रेस्पोंडेन्ट संख्या 01/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बालोतरा नगरपालिका क्षेत्र, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा के खसरा संख्या 1728/476 रकबा 2.8075 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसके सेढा–सेढ प्रतिवादी संख्या 1 व 2/अपीलांट की वादग्रस्त भूमि अवस्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रभावशाली व्यक्ति है जो येन केन तरीके से वादी के कब्जा–काश्त की भूमि पर कब्जा करना चाहता है जिसे पाबंद करने हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था, जबकि उक्त के संबंध में निवेदन है कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1728/476 पर प्रतिवादीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 द्वारा अतिक्रमण होना बताया है जिसमें सरहद मौजा बिठुजा के खसरा संख्या 1509/19 व 1510/19 के खसरान आये हुए हैं। जो जमाबंदी नकल एवं नक्शा अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 1509/19 में अपीलांट धर्माराम की खातेदारी है तथा उक्त खसरे में अपीलांट ओमप्रकाश खातेदार नहीं है। अन्य खातेदारान 20 आये हुये हैं तथा अविंभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1510/19 क्षेत्रफल 2.0072 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम अवस्थित है। जिसके खातेदारान को अधीनस्थ न्यायालय में उनवान प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। जबकि अपीलांट ओमप्रकाश को खातेदार पड़ौस में नहीं होते हुए भी पक्षकार संयोजित किया गया है। जबकि आवश्यक पक्षकार को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है तथा पक्षकार का कुसंयोजन होने से अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। गलत रूप से अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा बताते हुए अपीलाधीन वाद पेश किया गया है। जबकि रेस्पों. संख्या 1 की वादग्रस्त भूमि का विवाद अनरजिस्टर्ड बेचान के जरिये पुश्तैनी भूमिका सम्पूर्ण हिस्सा खरीद करने का अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बउनवान सीतादेवी बनाम भैराराम विचाराधीन है। जिसमें सीतादेवी अपने पिता की एकमात्र संतान है जो पुश्तैनी भूमि में अपना हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकाररिनी है। उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया है जिसमें अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे अपीलांट धर्माराम अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1509/19 के उपभोग–उपयोग से वंचित हो जायेगा। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 1510/19 में नगरपरिषद, बालोतरा का हक हिस्सा 29/2480 अवस्थित है। जबकि हस्तगत प्रकरण नगरपरिषद को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। जिससे अपीलाधीन निर्णय पक्षकारों के कुसंयोजन से खारिज योग्य है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये वकील उपस्थित हुआ था। वकील प्रत्येक तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था परन्तु अपीलांट के वकील को गलत तारीख पेशी नोट करवाकर विधि के विपरीत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर अपीलांट को अनुपस्थित बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी दो गावों की सरहद पर स्थित होने के कारण दोनों पक्षों की मौजूदगी में सम्पूर्ण क्षैत्र गांव का नाप कर स्पष्ट करने पर ही ओवरलेपिंग को मिटाया जा सकता है। ऐसी कोई रिपोर्ट या नाप की कार्यवाही बाबत् दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत प्रकरण को अनेकों बार प्रतिवादी के साक्ष्य में रखा गया। जिस पर प्रतिवादी/अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने के कारण से प्रतिवादी/अपीलांट की साक्ष्य बंद की जाकर विधि अनुसार वर्णन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी की भूमि दो पटवार हल्कों की सीमा पर होने से तहसीलदार द्वारा आई.एल.आर. की टीम गठित करते हुए विधि अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसमं किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। पक्षकारान के मूल हकों का निस्ता रण मूल वाद में होना है जिसका वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है अतः साक्ष्य व सबुत के उज्र का इस स्तर पर कोई सार नहीं है। जहां तक अतिक्रमण का प्रश्न है उक्त के संबंध में निवेदन है कि रेस्पों. का जमाबंदी में नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसलिए अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर अपीलांट के साक्ष्य बंद किये गये। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार तनकीयात कायम करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। वकील अपीलांट के कथनानुसार अनुसार अपीलांट द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत जवाबदावा का उल्लेख किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलाधीन निर्णय में विधि अनुसार दावा व प्रतिदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए विधि संगत निर्णय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। हस्तगत प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार द्वारा आई.एल.आर. की टीम गठित करते हुए मौका रिपोर्ट तलब की है जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उक्त तथ्यों के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 183/2023 बउनवान भेराराम बनाम धर्माराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2025 को यथावत रखा जाता है।

9/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर